भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1996
जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

न्यायपालिका में कमजोर वर्ग से न्यायाधीशों की नियुक्ति

1996. श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की उच्च न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की श्रेणियों के न्यायाधीशों की आनुपातिक रूप से नियुक्ति करने के प्रति गंभीर और ईमानदार है ;

(ख) क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आमंत्रित आवेदनों और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों जैसी श्रेणियों की प्रविष्टियों का उल्लेख किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो विगत दस वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए प्राप्त कुल आवेदनों में से उक्त वर्गों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) आंकड़े एकत्र करने और उच्चतम न्यायपालिका में नियुक्तियों को और अधिक प्रतिनिधिमूलक स्वरूप का बनाने में किन-किन बाधाओं का सामना करना पड़ा ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों क ेन्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 तथा अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो व्यक्तियों की किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं ।इसलिए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बीच अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रवर्ग-वार डाटा केंद्रीय रुप से अनुरक्षित नहीं किया जाता है । तथापि, 2018 से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद के लिए सिफारिश किए गए व्यक्तियों से विहित रुपविधान में उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित ब्यौरा उपबंध किया जाना अपेक्षित होता है (उच्चतम न्यायालय के साथ परामर्श से तैयार किया गया) ।सिफारिश किए गए व्यक्तियों द्वारा उपबंधित सूचना के आधार पर, 2018 से नियुक्त किए गए उच्च न्यायालयों के 684 न्यायाधीशों में से 21 अनुसूचित जाति प्रवर्ग से संबंधित हैं, 14 अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से संबंधित हैं, 82 अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग से संबंधित हैं तथा 37 अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित हैं ।

2. प्रक्रिया के ज्ञापन के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों की शुरुआत का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ निहित होता है, जब कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों की शुरुआत का उत्तरदायित्व, उच्च न्यायालय के दो ज्येष्ठतम अवर न्यायाधीशों के परामर्श से, संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ निहित होता है ।तथापि, सरकार ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए

प्रस्ताव भेजने के दौरान, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्प संख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक ध्यान दिया जाए केवल वही व्यक्ति, जिनके नाम उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं ।

****